UPMA010049662025

न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, मऊ।

उपस्थितः डॉ0 बाल मुकुन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

न्यायिक अधिकारी कोड सं. – यू.पी.5744

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 1761/2025

अभिमन्यु राय पुत्र कृष्ण कुमार राय निवासी धनडोड़ा खुर्द पोस्ट कोड़ीराम थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

———————— आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

——— विपक्षी

मुकदमा अपराध सं.– 168/2025
धारा–318(4),319(2),336(3),338,340(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना – कोपागंज, जनपद मऊ।

दिनांकः 18.10.2025

प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र आवेदक/अभियुक्त अभिमन्यु राय ओर से मुकदमा अपराध संख्या 168/2025, अंतर्गत् धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 व 340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोपागंज जनपद मऊ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैनें आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा पुलिस प्रलेखों का सम्यक् परिशीलन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जितेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा थाना कोपागंज जनपद मऊ में दिनांक 10.06.2025 को समय 17.16 बजे इस आशय की तहरीर दी गई कि उसकी 10 चक्का ट्रक गाड़ी सं. यू.पी.50–ए.टी.–9981 थी जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लिमि0 सहादतपुरा मऊ से फाईनेंस थी जिसकी किश्त समयानुसार उसके द्वारा जमा की गई जब किश्त की रकम पूरी हो गई तो एजेन्ट अभिमन्यू राय व मैनेजर सुमित सिंह जिसमें एजेंट अभिमन्यू राय ने नो–ड्यूज दिया व उससे ए.आर.टी.ओ. मऊ से अपनी उक्त गाड़ी को नो–ड्यूज हटाकर बेच दिया फिर उसके बाद जब एजेंट अभिमन्यू राय कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी थे तब तक कोई फोन किश्त के लिये नहीं आया तथा उक्त एजेंट के जाने के बाद नया एजेंट आदित्य उसे बार–बार किश्त के लिये दबाव बना रहा है तथा मैनेजर सुमित सिंह जब तक सम्मिलित थे तब तक किश्त के लिये कोई फोन नहीं आया। वादी मुकदमा की उपुर्यक्त तहरीर के आधार पर पुलिस थाना कोपागंज में मुकदमा अपराध सं. 168/2025 अंतर्गत् धारा 318(4) व 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक/अभियुक्त अभिमन्नयू राय व एक अन्य को नामित करते हुए मुकदमा पंजीकृत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन–पत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई भी अपराध कारित नहीं किय है। उसको वादी मुकदमा द्वारा अन्य लोगों के

Digitally signed by BAL MUKUND
Date: 2025.10.18 16:32:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चढ़ाने–बढ़ाने पर गलत तरीके से रूपये वसूलने के लिए पुलिय को साजिश में करके गलत तथ्यों के आधार पर कथित मुकदमा पंजीकृत कराकर अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन द्वारा जिस तरह से कथित घटना को बताया जाता है वह बिल्कुल फर्जी, गलत व मनगढंत है। वादी का परिवार राजनीतिक रसूख रखता है जो मुकामी पुलिस को साजिश में करके खूब सोच–समझ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से पंजीकृत कराया है। जबकि उससे कथित घटना से कोई भी लेना–देना नहीं है। उसको केवल कर्मचारी होने व वादी के वाहन का लोन जमा करवाने हेतु कहने के नाते ही रंजिशन मुल्जिम बनाया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा अपने वाहन के किश्त को जमा करने हेतु जो रूपया दिया गया है उसके द्वारा उक्त धनराशि को तत्काल जमा कर दिया गया है तथा बाद में जब मुकदमा वादी के लोने की राशि में ब्याज लोन कम्पनी के द्वारा जोड़ा जाता रहा है और उसका एमाउण्ट बढ़ता रहा तब मुकदमा वादी ने जाल–फरेब के तहत स्वयं या कैसे अपन वाहन का एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र बनवाया इसकी कोई जानकारी उसको नहीं है। उसके द्वारा कोई भी एन.ओ.सी. वादी मुकदमा को नहीं दी गई और न ही उसको एन.ओ.सी. जारी करने का अधिकार ही प्राप्त है। श्रीराम फाईनेंस कम्पनी में उसका काम केवल ऋण ग्रहीता को केवल ऋण लेने के लिये कम्पनी की सुविधाओं व नियमों को समझा कर प्रेरित करने का है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी।

इसके विरूद्ध विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा फर्जी व जाली व कूटरचित एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र देकर वादी मुकदमा के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉड किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया गया। आवेदक/अभियुक्त पर श्रीराम फाईनेंस कम्पनी लिमि0 के अभिकर्ता के रूप में वादी मुकदमा के वाहन ऋण की किश्त का पैसा लेकर फर्जी व कूटरचित अनापत्ति प्रमाण पत्र कर वादी मुकदमा को उपलब्ध करा धोखाधड़ी व जालसाजी करने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त को घटना के समय श्रीराम फाईनेंस कम्पनी लिमि0 में अभिकर्ता के रूप में कार्यरत होना स्वीकार है। केस डायरी के पर्चा नं0 8 में अवलोकन एन.ओ.सी. का उल्लेख है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31.07.2024 को श्रीराम फाईनेंस लिमि0 द्वारा जितेन्द्र विश्वकर्मा के वाहन सं. यू.पी.50–ए.टी.–9981 इंजन सं. पी.591803241एम63411410, चेसिस नं0 एम.ए.टी.448022इ.2पी.14144 की एन.ओ.सी. जारी किया गया है जिस पर जारीकर्ता का अपठनीय हस्ताक्षर बना हुआ है। केस डायरी के पर्चा नं0 12 में अवलोकन रिपोर्ट कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशाासन) मऊ का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु.अ.सं. 168/2025 धारा 318(4) व 316(2) की विवेचना से सम्बन्धित वाहन सं. यू.पी.50–ए.टी.–9981 ट्रक के स्थानांतरण हेतु वाहन स्वामी द्वारा फार्म 35 एवं श्रीराम फाईनेंस कम्पनी लिमि0 द्वारा जारी लेटर पैड प्रस्तुत करने के उपरांत ही वाहन का एच.पी.ए. निरस्त करके दिनांक 31.08.2024 को उक्त वाहन का अनापत्ति प्रमाण पत्र जनपद गोरखपुर कार्यालय के लिये जारी किया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् श्रीराम फाईनेंस लिमि0 द्वारा दिनांक 15.05.2025 को आपत्ति इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है कि उपर्युक्त वाहन का हाइपोथिकेशन गलत ढंग से सम्पन्न कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। आगे यह भी उल्लेख किया गया है कि वाहन स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि फार्म 35 एवं एन.ओ.सी. फाईनेन्सर के कार्यालय में कार्यरत श्री अभिमन्यु राय द्वारा प्रदान किया गया है। यदि फार्म 35 व फाइनेंन्सर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र फर्जी है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी

फाईनेंस कम्पनी के मैनेजर व कार्यालय में कार्यरत श्री अभिमन्यु राय की है। केस डायरी के पर्चा नं0 15 में बयान निर्गत एन.ओ.सी. की निर्गमन प्राधिकारी कसक सिंह का बयान अंकित है जिसमें अनुसार उपर्युक्त एन.ओ.सी. उनके द्वारा निर्गत नहीं किया गया है और न ही इस पर उनके हस्ताक्षर हैं इस तरह से वह अपन हस्ताक्षर नहीं करती हैं। एन.ओ.सी. के साथ संलग्न जो फार्म 35 है उस पर भी उनका ही हस्ताक्षर होता है जबकि दिखाया जा रहा फार्म 35 पर किसी और के हस्ताक्षर हैं। एन.ओ.सी. के साथ जो फार्म 35 होता है इन दोनों पेपर पर एन.ओ.सी. निर्गमन अधिकारी का ही हस्ताक्षर होता है। एन.ओ.सी. निर्गमन का एक उचित माध्यम होता है यह एन.ओ. सी. पूरी तरह से कूटरचित है। जितेन्द्र विश्वकर्मा गाड़ी सं. यू.पी.50–ए.टी.–9981 नाम से कोई भी एन.ओ.सी. उनके द्वारा जारी नहीं की गई है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अभिमन्यु राय ओर से मुकदमा अपराध संख्या 168/2025, अंतर्गत् धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 व 340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना कोपागंज जनपद मऊ के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 बाल मुकुन्द)
सत्र न्यायाधीश,
मऊ।

दिनांकः 18.10.2025